डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)
(Accredited Grade A+ by NAAC)

पत्रांकः **COE/343/2026** दिनांक **18-08-2026**

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/विभागाध्यक्ष,
आवासीय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत अर्ह छात्राओं की सूची सम्बन्धित महाविद्यालय की लॉगिन आई0डी0 पर प्रेषित कर दी गयी है। उक्त सूची में उल्लिखित छात्राओं के निम्नांकित विवरण/अभिलेखों का भली–भाँति परीक्षण एवं सत्यापन करते हुए सूचना ऑनलाइन अंकित किया जाना आवश्यक हैः–

1. छात्रा का आधार नम्बर सही एवं पूर्ण रूप से अंकित किया जाए तथा आधार कार्ड की प्रति अपलोड की जाए।
2. छात्रा के परिवार की वार्षिक आय रु0 12,00,000/– (रुपये बारह लाख मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण–पत्र का क्रमांक अंकित किया जाए तथा आय प्रमाण–पत्र की प्रति अपलोड की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त आय प्रमाण–पत्र छः माह के भीतर निर्गत हुआ हो एवं अर्ह छात्रा की APAAR ID भी अपलोड करें।
3. छात्रा के उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाए तथा उसकी प्रति अपलोड की जाए।
4. अर्ह दिव्यांग छात्राओं का नाम यदि सूची में है तब अपने स्तर से सुनिश्चित करले की दिव्यांगजन की मानसिक स्थिति अच्छि हो एवं कमर से उपर का हिस्सा स्वस्थ हो।
5. निराश्रित छात्रा से आशय ऐसी छात्रा से होगा, जिसके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी हो तथा उसके परिवार में उसके भारण पोषण हेतु कोई सदस्य न हो।

उपर्युक्त समस्त विवरण सम्बन्धित मूल अभिलेखों से भली–भाँति मिलान एवं सत्यापन के उपरान्त ही महाविद्यालय की लॉगिन आई0डी0 पर प्रेषित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन अंकित किया जाए। किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण अथवा अप्रमाणित सूचना अंकित न की जाए। उपलब्ध कराये गये विवरण एवं अभिलेखों के सत्यापन की शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त सूचना दिनांक 20.08.2026 तक अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अपने महाविद्यालय की लॉगिन आई0डी0 पर प्रेषित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन अंकित/उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत अर्ह छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु अग्रेतर कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण की जा सके। उपरोक्तानुसार अर्ह छात्रा की समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध न कराये जाने से वंचित रहता है तब महाविद्यालय स्वंय जिम्मेदार होगा।

उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा विलम्ब न किया जाए।

परीक्षा नियंत्रक

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :–

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय को मा0 कुलपति जी सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. प्रो0 अनिल गुप्ता, नोडल अधिकारी।
4. वित्त अधिकारी कार्यालय।
5. जन सम्पर्क अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को छात्रहित में निःशुल्क समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. एजेन्सी 2025–26 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त आदेश के अनुसार महाविद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 पर आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन सूचना अंकित/अभिलेख अपलोड करने की सुविधा तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं उक्त सूचना को महाविद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 पर आज ही अपलोड करें।
8. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक